भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1171
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2015 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के तहत भूमि का अवमूल्यांकन

1171. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक खातों में सभी प्रकार की भूमिओं नामतः पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि, पट्टे पर दी जाने वाली भूमि, दान की गई भूमि के मूल्यांकन के विहित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी बहियों में अपनी भूमि का समकालीन मूल्य नहीं दर्शाते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बहियों में भूमि के गलत अवमूल्यांकन की ऐसी परिपाटी के कारण इन उपक्रमों को भूमि की निवल कीमत के आधार पर बैंक से वित्त प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं में भूमि का सही मूल्य दर्शाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा धारित भूमि का मूल्यांकन कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों और इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी उपयुक्त लेखा मानकों और संशोधनों के अनुसार किया जाता है। भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उसी प्रकार के मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

(ग): जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी भूमि की निवल कीमत के आधार पर बैंक से वित्त प्राप्त करते समय लेखा मानकों के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य पर आकलित, भूमि सहित अपनी परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

******